चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). 11वें अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के दृष्टिगत 15 जून से 21 जून 2025 तक चल रहे योग सप्ताह के अवसर पर आज दिनांक 19.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन्स स्थित परेड ग्राउंड में प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण द्वारा पुलिस लाइन/पुलिस कार्यालयो/अन्य शाखाओं में तैनात पुलिस कर्मियों सहित रिक्रूट पुरुष/महिला आरक्षियों को योगाभ्यास कराया गया।
सभी को बताया गया कि "योग हमारे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो आज वैश्विक स्तर पर सम्मानित हो चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत से उत्पन्न इस विधा ने पूरे विश्व को स्वास्थ्य और आत्मबल का मार्ग दिखाया है। आने वाली पीढ़ियों को योग की इस धरोहर से जोड़ना हमारा कर्तव्य है।" "योग न केवल हमें शारीरिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि यह हमारे भीतर अनुशासन, आत्मसंयम और मानसिक स्थिरता का विकास करता है। आधुनिक जीवन में मानसिक शांति की जो आवश्यकता है, वह योग से ही संभव है।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवाआसरे एवं पैरोकार आरक्षी हिमांशु द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश जे0एम0 मऊ श्री एस आनंद द्वारा आज दिनाँक 19.06.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2007 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.मिश्रीलाल पुत्र बाबूलाल दुबे 2. सुनील कुमार उर्फ गोलू पुत्र मिश्रीलाल निवासीगण मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 1000-1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ व उनकी टीम ने ग्राम बरियारी कलाँ में महिला की हत्या कर शव को गुमटी पर फेंक देने के नामजद 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया।
अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-
1. प्रेम नारायण मिश्रा उर्फ प्रेमी पुत्र कमल नारायण मिश्रा
2. विमला देवी पत्नी कमलेश रैदास निवासीगण ग्राम बरियारी कलाँ थाना मऊ जनपद चित्रकूट
गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-
बरियारी कलाँ में हनुमान जी के मंदिर के गेट के पास ,19.06.025,07.00 बजे
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.06.2025 को वादी रामनरेश रविदास पुत्र ननकवा ग्राम बरियारी कला थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई कि दिनांक 17.06.2025 को सुबह लगभग 5:00 बजे उसकी पत्नी रंची देवी का शव धर्मेन्द्र तिवारी पुत्र स्व0 मोहन तिवारी निवासी उपरोक्त के गुमटी के पास मिला था। उसके गांव के ही प्रेमी मिश्रा पुत्र बच्चु मिश्रा व विमला देवी पत्नी कमलेश रैदास निवासी बरियारी कलाँ थाना मऊ जनपद चित्रकूट से पहले से लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसने धमकी दी थी कि तुम लोगों को देख लेगें उसकी पत्नी रंची देवी को प्रेमी मिश्रा पुत्र बच्चु मिश्रा व विमला देवी पत्नी कमलेश ने ही मारकर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0193/25 धारा 103(1, 238 351(3),3(2)(5) एससी एसटी एक्ट बनाम प्रेमी मिश्रा,विमला देवी पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 19.06.025 को प्रभारी निरीक्षक मऊ व उनकी टीम द्वारा मखबिर खास की सूचना पर ग्राम बरियारी कलाँ में हनुमान जी के मंदिर की कुछ दूरी पहले आरोपी अभियुक्त 1. प्रेम नारायण मिश्रा उर्फ प्रेमी पुत्र कमल नारायण मिश्रा 2. विमला देवी पत्नी कमलेश रैदास निवासीगण ग्राम बरियारी कलाँ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि रंची देवी से आपसी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसे लेकर हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को गुमटी के किनारे उसी की साड़ी से फंदा लगाकर डाल दिया था।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह

2.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

3.मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार

4.मुख्य आरक्षी चालक राजकुमार

5.महिला आरक्षी रेखा शर्मा

(6). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल चित्रकूट,थाना राजापुर पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी व कूटरचित तरीके से सिमकार्ड एक्टिवेट करने के मु०अ०स० 115/2025 धारा 34/419/420/465/467/468/471/ भा०द०वि० व 66 सी, 66 डी आईटीएक्ट के 25000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त व 01 अन्य वाँछित अभियुक्त को 04 अदद मोबाइल फोन, 36 अदद आधार कार्ड, 239 अदद अनएक्टिवेटेड ब्लैंक सिम कार्ड, 03 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद डीएल, 01 अदद निर्वाचन कार्ड, 02 अदद पैन कार्ड, 02 अदद बायोमैट्रिक स्कैनर, रूपये 6620 / नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभिययुक्त का नाम पता का विवरण-

1. संदीप पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र पाण्डेय निवासी सुनियांवा घासी का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ

2. नौफील पुत्र हुसैन आरिफ निवासी किलहनापुर मलाका रजक पुर थाना हंथिगवा जनपद प्रतापगढ

गिरफ्तारी का स्थान-दिनाँक-समय-

थाना नवाबगंज से प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर,18.06.025,अपरान्ह 13:05 बजे

बरामदगी-

1.04 अदद मोबाइल फोन

2. 36 अदद आधार कार्ड

3. 239 अदद अनएक्टिवेटेड ब्लैंक सिम कार्ड

4. 03 अदद एटीएम कार्ड

5. 01 अदद डीएल

6. 01 अदद निर्वाचन कार्ड

7. 02 अदद पैन कार्ड

8. 02 अदद बायोमैट्रिक स्कैनर

9. 6620 /- रूपये नगद

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 18.06.025 को प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री निशिकान्त राय व उनकी टीम तथा एस०टी०एफ० टीम वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी एस०टी०एफ० टीम द्वारा पूर्व से मामूर किए गए मुखबिर खास द्वारा बताया कि थाना राजापुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 115/2025 का वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदीप पाण्डेय थाना नवाबगंज से प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर मौजूद है शीघ्रता किया जाय तो उसकी गिरफ्तारी व बरामदगी हो सकती है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के लिए प्रस्थान किये। जैसे ही हम लोग नवाबगंज थाने के थोडा आगे पहुंचे तो प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर खड़े एक व्यक्ति की तरफ मुखबिर द्वारा इशारा करके बताया गया कि यह वही व्यक्ति है जो थाना राजापुर के मु0अ0स0 115/2025 के अभियोग में वांछित / पुरस्कार घोषित अपराधी है। त्वरित कार्यवाही करते हुए घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त संदीप पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र पाण्डेय निवासी सुनियांवा घासी का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ गिरफ्तार किया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गा था । पूंछताछ करने पर बताया कि हम लोगों का एक फर्जी व कूटरचित तरीके से सिमकार्ड एक्टिवेट कर साइबर काइम व अन्य अपराध करने वाले गिरोहों को ऊँचे दाम पर बेचने का एक सुसंगठित गिरोह है हमारे गिरोह में मेरे अतिरिक्त शिवदयाल शिवबाबू, ओम प्रकाश अग्रहरि, राहुल पाण्डेय, जितेन्द्र कुमार व नौफील पुत्र हुसैन आरिफ हैं। मुझे शिवदयाल व जितेन्द्र प्रीएक्टीवेटेड सिम कार्ड भारी मात्रा में उपलब्ध कराते थे जिसको मैं नौफील पुत्र हुसैन आरिफ जिसकी लाल गोपाल गंज में मार्शल मोबाइल के नाम की दुकान है को ऊंचे दामों में बेचता हूँ वह मुझसे सिम कार्ड लेकर विभिन्न प्रकार से अपराध करने वाले अपराधियों के गिरोहों को बेच देता है। मैने नौफील को लगभग 800 प्रीएक्टिवेटेड सिम कार्ड उपलब्ध कराये हैं। आज भी मेरे पास से जो सिमकार्ड मिला है उसको भी मैं नौफील को देने जा रहा था नौफील की दुकान पर मेरे द्वारा दिये गये बहुत से सिमकार्ड मौजूद हैं मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ। संदीप पाण्डेय उपरोक्त की निशादेही पर संदीप पाण्डेय को अपनी अभिरक्षा में लेकर हम पुलिस बल अपने अपने वाहनों से नौफील की दुकान लाल गोपाल गंज पर पहुंचे। दुकान पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके संदीप पाण्डेय उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह वही व्यक्ति है। तब हम पुलिस बल अपने अपने वाहनों से उतर कर दुकान में बैठे व्यक्ति के पास जाकर नाम पता पूछते हुए जामा/खाना तलाशी ली गयी तो उस व्यक्ति ने अपना नाम नौफील पुत्र हुसैन आरिफ निवासी किलहनापुर मलाका रजक पुर थाना हंथिगवा जिला प्रतापगढ बताया खाना तलासी से 04 अदद मोबाइल फोन, 36 अदद आधार कार्ड, 239 अदद अनएक्टिवेटेड ब्लैंक सिम कार्ड, 03 अदद एटीएम कार्ड, 01 अदद डीएल, 01 अदद निर्वाचन कार्ड, 02 अदद पैन कार्ड, 02 अदद बायोमैट्रिक स्कैनर, रूपये 6620 / नगद बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली साइबर सेल व थाना राजापुर पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री निशिकान्त राय
2.उ०नि० श्री परसुराम पाण्डेय थाना राजापुर
3.आरक्षी प्रशान्त कुमार
4.आरक्षी सर्वेश कुमार
गिरफ्तार करने वाली एसटीएफ टीम-
1.उ०नि० श्री पंकज कुमार सिंह
2.उ०नि० श्री मनोज सिंह
3.मु०आ० दीपेन्द्र सिंह
4.मु०आ० उपेन्द्र प्रताप सिंह
5.मु०आ० धर्मेन्द्र कुमार सिंह,

6.मु०आ० कमांडों सुरेन्द्र
7.मु आ० चालक नागेश मिश्रा

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारण्टी 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

(1). उ0नि0 मनीष कुमार थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट मय हमराह का0 मृत्युंजय पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 121/25 धारा 65(2)/75(1)(i)/333/ 351(3) बीएनएस 9(M)/10, 5(M)/6 पोस्को एक्ट थाना पहाड़ी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. सौरभ उर्फ नान पुत्र राकेश गुप्ता उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम कौड़र का पुरवा मजरा बक्टा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). थानाध्यक्ष पंकज तिवारी थाना पहाड़ी मय हमराह उ0नि0 मनीष कुमार , हे0का0 सौरभ कुमार , का0 बहोरन सिंह , का0 शुभम द्विवेदी द्वारा मु0अ0सं0 128/25 धारा 103(1)/351(3)/352 बीएनएस थाना पहाड़ी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. घनश्याम पुत्र कलकू यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). उ0नि0 श्री हर्षित मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट मय हमराह का0 विनीत कुमार द्वारा मु0न0 261/21 अ0स0 151/18 धारा 323,504,506 आईपीसी के वारंटी अभियुक्तो 1. महेश नाई पुत्र वासुदेव निवासी चकजाफ़र थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. संतोष पुत्र मचला रैकवार निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।